

(276)

निग/ 2852/II/15

(152)

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र०/ /015

C.F.
RS.20/-

- 01- हीरालाल तनय रामप्रकाश गुप्ता
 02- हरीदास तनय रामसुन्दर गुप्ता
 03- रामकृपाल तनय रामविशाल गुप्ता
 04- सुसो पार्वती बेवा स्व० रामगोपालगुप्ता
 05- अरविन्द कुमार पिता रामगोपालगुप्ता
 06- रवीन्द्र पिता रामगोपाल गुप्ता
 07- जीतेन्द्र पिता रामगोपाल गुप्ता
 08- आनन्द पिता रामगोपाल गुप्ता
 09- ममता पुत्री रामगोपाल गुप्ता
 10- दीपिका पुत्री रामगोपाल गुप्ता

श्री. शिवलाल साहू द्वारा आज दिनांक 09-7-15 प्रस्तुत किया गया।

श्री. शिवलाल साहू
 सॉल्ट सेल रीवा

सभी निवासीगण ग्राम करौदिया उत्तरटोला तहसील गोपदवनास जिला सीधी, म०प्र०

----- आवेदकगण.

बनाम

01- बुद्धसेन तनय दयानंद सोनी निवासी करौदिया उत्तरटोला सीधी, तह० गोपदवनास जिला सीधी, म०प्र०

02- म०प्र०राज्य

----- अनारोग्य.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०स० 1959

विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील गोपदवनास

जिला सीधी, दिनांक 25.09.013 जो राजस्व

निरंतर...2पर

251
09.7.15

श्री. शिवलाल साहू
 9.7.15

152

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... 2852-II/15..... जिला सीधी

..... श्रीलाल गुप्ता बगैरे विरुद्ध सुहसन शर्मा

1	2	3
161-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... शिव प्रसाद द्विवेदी..... अधिवक्ता द्वारा यह न्याय तहसीलदार तहसील..... चाणदखनस के प्रकरण क्रमांक..... 80/अ-12/2012-13..... में पारित आदेश दिनांक..... 25.09.13..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... सीधी..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... 29.03.19..... को कलेक्टर..... सीधी..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	